कार्यालय नीलामी समित जनपद न्यायालय ,देवरिया ।

- नीलामी सूचना । -

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1320/इन्फ्रा-सेल दिनांकित 18.12.2021 के आलोक में जनपद न्यायाधीश देवरिया के आदेश दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन में जनपद न्यायालय देवरिया परिसर में 24 कोर्ट रुम भवन (G+5) के प्रस्तावित कार्य स्थल के अन्तर्गत आ रहे पुराने निष्प्रयोज्य / परित्यक्त भवनों (सर्वेण्ट क्वार्टर एवं इम्प्रोवाईज कोर्ट विल्डिंग) के ध्वस्तीकरण के मलवे के निस्तारण की नीलामी दिनांक 05.01.2022 को अपराह्न 1:30 बजे जनपद न्यायालय देवरिया के दस कक्षीय भवन के सभागार कक्ष मे समिति के समक्ष सम्पन्न होगी । अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड , लो०नि०वि० देवरिया द्वारा मलवे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि मु०-**1.19** लाख नियत की गयी है ।

अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी सूचना के प्रकाशन की तिथी से दिनांक 04.01.2022 के बीच किसी भी कार्य दिवस में उक्त वृक्षो का स्थलीय निरीक्षण कर निम्न शर्तो के अधीन नीलामी में भाग ले सकते है ।

नीलामी की शर्ते निम्नवत् है :-

1- नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति जनपद न्यायालय का कर्मचारी अथवा समिति के सदस्यगण या उनका कोई नातेदार नही होना चाहिए ।

2- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत के रुप में मु०-10000/- कार्यालय नजारत जजी देवरिया मे जमा करना होगा । बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है । जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा ।

3- नीलामी मे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी से अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की स्वीकृत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एकमुश्त नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण -पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7- नीलामी समिति जजी देवरिया के विचार मे यदि यह बात आती है कि उचित बोली नही बोली जा रही है तो एेसी स्थिति मे नीलामी स्थगित की जा सकती है ।

8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

9- ध्वस्तीकरण से प्राप्त मलवे का निस्तारण अन्दर 30 दिवस करना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी निरस्त कर नीलामी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

(लोकेश कुमार),	**(शाश्वत पाण्डेय),**	**(अजय कुमार),**
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
नीलामी समिति,	नीलामी समिति	नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।	जजी ,देवरिया ।	जजी, देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतुः-

1- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु

2- जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया ।

3- माननीय जनपद न्यायाधीश,देवरिया

4- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

5- कलेक्ट्रेट / जिला परिषद एवं देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

6- जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

7- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया को नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।

23/12/21	23/12/21	23/12/21
(लोकेश कुमार),	**(शाश्वत पाण्डेय),**	**(अजय कुमार),**
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
नीलामी समिति,	नीलामी समिति	नीलामी समिति,
जजी देवरिया ।	जजी देवरिया ।	जजी, देवरिया ।